जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय), उदयपुर, राजस्थान

(यू.जी.सी.एक्ट,1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 9 –5 / 84–U–3, दिनांक,12 जनवरी,1987 द्वारा स्थापित)

बी.एड. (बाल–विकास) एकीकृत द्विवर्षीय पाठ्यक्रम (सेमेस्टर प्रणाली)

(NCTE एवं राज्य सरकार से बी.एड. समकक्ष मान्य पाठ्यक्रम)

प्री. बी.एड. (चाइल्ड डवलपमेन्ट) टेस्ट, 2025

(पी.बी.सी.डी.टी. – 2025)

पी.बी.सी.डी.टी. परीक्षा तिथि – 17 मई, 2025

सामान्य दिशा निर्देशिका

पी.बी.सी.डी.टी. कार्यालय

लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

डबोक, उदयपुर (राज.) 313022

दूरभाष: 0294–2655327,

website: **http://www.pbcdtdabok.net**

Email: pbcdtexam.dabok@gmail.com

प्री. बी.एड. (चाइल्ड डवलपमेन्ट) टेस्ट हेतु आवेदक कृपया ध्यान दें

1. इस सामान्य दिशा निर्देश पुस्तिका में परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता, सीटों के आरक्षण, स्कूल अध्ययन विषय आदि के सम्बन्ध में नियमों का समावेश किया गया है। आगे नियमों का संक्षिप्त स्पष्टीकरण भी दिया गया है।
2. इन नियमों को हिन्दी भाषा में संक्षिप्त में दिया गया है जो केवल अभ्यर्थियों की सुविधा लिए है ।
3. कॉलेज में प्रवेश काउन्सलिंग के जरिए होगा। कॉउन्सलिंग के समय आपको वरीयता क्रम से लिया जाएगा।
4. ऑन लाईन आवेदन–पत्र भरकर सबमिट करने से पूर्व इससे सम्बन्धित वेबसाइट पर उपलब्ध पुस्तिका में उपलब्ध दिशा निर्देशों का अध्ययन करें और ऑनलाइन आवेदन–पत्र का हर कॉलम दिशा निर्देशों के हर पैरा का अध्ययन करने के पश्चात् ही सावधानीपूर्वक भरें। ध्यान रहे ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने में सामान्य सी चूक आपको इस परीक्षा के लिए अपात्र ठहरा सकती है।
5. ऑन लाईन आवेदन–पत्र अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरकर ऑन लाईन सबमिट करें एवं उसका प्रिन्ट लें अपने पास सुरक्षित रखें। आवेदन–पत्र में एक भी गलत या अनुचित इन्द्राज भी जानबूझ कर टेस्ट में नाजायज लाभ लेने की नीयत से किया हुआ माना जाएगा तथा ऐसा कृत्य इस टेस्ट हेतु आपकी अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त आधार होगा।
6. यदि आप सामान्य श्रेणी से भिन्न श्रेणी यथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, विकलांग, विधवा/परित्यक्ता, टाडा/माडा/सहरिया श्रेणी एवं क्षेत्र का निवासी, सैनिक/सेवानिवृत्त सैनिक या उनके आश्रित हैं तो उस श्रेणी से सम्बन्धित नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दस्तावेज की सत्यापित प्रति अवश्य संलग्न करें।
7. आपके किसी श्रेणी विशेष से सम्बन्ध न रखते हुए भी या प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण–पत्र नहीं होते हुए भी आवेदन–पत्र के निर्धारित कॉलम में उस आशय का इन्द्राज करते हैं तो दुर्भावना पूर्वक इस टेस्ट में अनुचित लाभ प्राप्त करने की नीयत से किया गया कृत्य माना जाऐगा एवं इस टेस्ट हेतु आपकी अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त आधार होगा ।
8. टेस्ट के प्रश्न–पत्र में 200 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। परीक्षा अवधि तीन घण्टे होगी। गलत उत्तर देने पर अंको में कटौती नही की जाएगी।
9. इस टेस्ट व इसके द्वारा चयन के निमित्त राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा समय–समय पर जारी आदेश, निर्देश आदि लागू होंगे।
10. पी.बी.सी.डी.टी. 2025 परीक्षा हेतु आवेदन शुल्क रू0 3000/– रहेगा।

महत्त्वपूर्ण चेतावनी

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तदनुसार पी.बी.सी.डी.टी. परीक्षा 2025 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहायता करने वालों को 3 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर 2000/– रूपये तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों सजाएँ हो सकती हैं।

प्री.बी.एड.(बाल विकास) टेस्ट के आवेदकों हेतु महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ

1. आवेदक को वेब–साईट (ऑन–लाईन) पर उपलब्ध आवेदन–पत्र को भर कर सबमिट करने के पश्चात आवेदन–पत्र की प्रिन्ट कॉपी स्वयं के पास सुरक्षित रखे।
2. टेस्ट के परिणाम की घोषणा टेस्ट की तिथि के लगभग बीस दिन से एक माह के समय में की जानी संभावित है। टेस्ट की अंकसूची या अन्य सूचना अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा नहीं भेजी जाऐगी। परिणाम वेबसाईट पर उपलब्ध करवाया जाऐगा।
3. आवेदकों को टेस्ट में बैठने की पात्रता प्रदान करने वाली परीक्षा अर्थात् स्नातक/स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी भी पी.बी.सी.डी.टी..–2025 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा परीक्षा मे बैठ सकते हैं बशर्ते वे बी.एड. (बाल विकास) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तभी हकदार होंगे जब उनके कॉउन्सलिंग में भाग लेने की अन्तिम तिथि तक बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता प्रदान करने वाली परीक्षा का परिणाम पात्रता प्राप्तांक सहित आ चुका हो तथा अंक तालिका पात्रता प्राप्तांक सहित उनके पास हो एवं उन्होंने कॉउन्सलिंग में भी भाग लिया हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थियों से महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय अन्य किसी प्रकार का प्रोविजनल प्रमाण–पत्र अथवा समाचार पत्र में घोषित परिणाम या इंटरनेट से जारी अंकतालिका आदि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक जिनका पात्रता परीक्षा परिणाम यथा मुख्य परीक्षा परिणाम या पुनः मूल्यांकन परिणाम या पूरक परीक्षा परिणाम जैसी भी परिस्थिति हो कॉउन्सलिंग रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि के पश्चात घोषित होता है तो ऐसे आवेदक सत्र 2025–27 में बी.एड बाल विकास पाठ्यक्रम में प्रवेश के हकदार नहीं होंगे। यदि आवेदक गलत सूचना के आधार पर कॉउन्सलिंग में सम्मिलित होता है तो उनके द्वारा जमा रजिस्ट्रेशन शुल्क राशि जब्त कर ली जाऐगी।

4. आवेदक ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक की श्रेणी/संकाय/लिंग संबंधी कॉलम पूर्ण सावधानी बरतते हुए भरें।आवेदक द्वारा श्रेणी/संकाय/लिंग संबंधी कॉलम में यदि गलत सूचना दी जाती है तो इनमें बाद में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं हो सकेगा एवं ऐसी सूचना को दुर्भावना पूर्वक दी हुई सूचना मानते हुए आवेदन–पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।
5. अभ्यर्थी जिनके स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में पढ़े हुए विषयों के आधार पर बी.एड.बाल विकास पाठ्यक्रम में पढ़ाये जाने वाले कोई दो विषय नियमानुसार नहीं बनते हैं तो वे टेस्ट में बैठने हेतु पात्र नहीं है। बी.बी.ए./बी.सी.ए./बी.ई./बी.एस.सी. बॉयोटेक्नॉलोजी या अन्य कोई ऐसी स्नातक डिग्री उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नियमानुसार बी.एड. पाठ्यक्रम में पढ़ाये जाने वाले विषय नहीं बनने के कारण वे भी टेस्ट में बैठने हेतु पात्र नहीं है। बी.ए.पी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 10+2 के बराबर नहीं माना जाकर बी.एड. बाल विकास पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।
6. बी.एड.बालविकास पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों के अनुसार सफल अभ्यर्थियों में से संकायवार, श्रेणीवार वरीयता (Merit List) सूची तैयार कर प्रवेश प्रक्रिया की जाएगी। प्रवेश हेतु चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के चयन की सूचना वेब–साईट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन सूचना अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा नहीं भेजी जाएगी।
7. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों का चयन कॉउन्सलिंग प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। कॉउन्सलिंग कार्यक्रम सूचना बेबसाइट http://www.pbcdtdabok.net पर अपलोड की जाएगी।
8. सफल अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में उपस्थिति के समय महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

9. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी के बावजूद उपर्युक्त प्रकरणों के संबंध में उनके नियम विरुद्ध किसी प्रार्थना पत्र पर इस कार्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा एवं पत्र व्यवहार की अधिकता के कारण न ही उन्हें जवाब दिया जाना संभव हो सकेगा।

परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण साथ में लाना पूर्णतया वर्जित है।

परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में काला बॉल पेन, H.B. पैन्सिल एवं रबर साथ में लाना न भूलें।
कोविड–19 से सुरक्षा हेतु सरकारी निर्देषों की अनुपालना सुनिश्चित करे।

सामान्य निर्देश

प्री.बी.एड. (चाइल्ड डवलपमेन्ट) टेस्ट 2025

लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक के बी.एड.(बाल विकास) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम (सेमेस्टर) 2025–27 में प्रवेश हेतु NCTE एवं राज्य सरकार द्वारा मान्य नियमों के अनुसार जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षा – प्री बी.एड. (बाल विकास) टेस्ट PBCDT-2025 आयोजित किया जा रहा है।

बी.एड.(बाल विकास) पाठ्यक्रम के प्रवेश–नियम

1. लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक के बी.एड. बाल विकास पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्री.बी.एड. बाल विकास (पी.बी.सी.डी.टी.) आयोजित होगा। इस प्रतियोगी परीक्षा हेतु जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। किसी भी विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में जो इस विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के समतुल्य मानी गई है – **न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक** प्राप्त करने वाले तथा अग्र–उल्लिखित प्रवेश–अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी पीबीसीडीटी के माध्यम से बी.एड.बाल विकास पाठ्यक्रम में आवेदन करने के योग्य है। **राजस्थान के अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग, विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी तथा विधवा एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं, वे इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने के पात्र हैं**। उपर्युक्त प्रकार से अभ्यर्थी की श्रेणी हेतु आवश्यक पात्रता प्राप्तांक प्रतिशत में एक अंक की कमी भी स्वीकार्य नहीं होगी। **पात्रता परीक्षा अर्थात् बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम../शास्त्री तथा एम.ए../एम.एससी./एम.कॉम./आचार्य अन्तिम वर्ष की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी भी पी.बी.सी.डी.टी.–2025 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं** तथा परीक्षा मे बैठ सकते हैं बशर्ते वे प्रवेश के तभी हकदार होंगे जब उनके कॉउन्सलिंग में भाग लेने के लिए कॉउन्सलिंग रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि तक बी.एड. बाल विकास पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता प्रदान करने वाली परीक्षा का परिणाम पात्रता प्राप्तांक सहित आ चुका हो तथा अंक तालिका पात्रता प्राप्तांक सहित उनके पास हो एवं उन्होंने कॉउन्सलिंग में भी भाग लिया हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय अन्य किसी प्रकार का प्रोविजनल प्रमाण–पत्र अथवा समाचार पत्र में घोषित परिणाम या इंटरनेट से जारी परिणाम /अंकतालिका आदि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने किसी भी विश्वविद्यालय से पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है और केवल एकल बैठक परीक्षा पद्धति से ही विश्वविद्यालय की परीक्षा दी है या 10+2+3 या पुरानी पद्धति से 10+1+3 से परीक्षाएँ पास नहीं की हो, वे भी पीबीसीडीटी में बैठने के पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा

पात्रता सम्बन्धी गलत सूचना के आधार पर टेस्ट में बैठना, कॉउन्सलिंग में भाग लेना या पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेना उसके द्वारा जमा शुल्क को जब्त करने का पर्याप्त आधार होगा। बी.ए. पी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 10+2 के बराबर नहीं माना जाकर बी.एड. बाल–विकास पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।

2. संकायानुसार उपलब्ध कुल सीटों में से समग्र योग्यता (ओवरऑल मेरिट) के आधार पर 5 (पाँच) प्रतिशत से अनधिक सीटें अभ्यर्थियों के निवास के राज्य का विचार किए बिना आवंटित की जा सकेंगी चाहे अभ्यर्थी किसी भी राज्य का क्यों न हो बशर्ते राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी की मैरिट सामान्य श्रेणी में राजस्थान के अंतिम प्रविष्ठ अभ्यर्थी की मैरिट से कम नहीं हो। शेष सीटें उन अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध रहेगी जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी (Bonafied residents) हैं।

3. बी.एड. बाल–विकास पाठ्यक्रम में चयन हेतु मेरिट का निर्धारण, आरक्षण, परिणाम की घोषणा एवं शिक्षण विषयों के निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी –

- योग्यता सूची निर्मित करते समय 60 प्रतिशत अंक भार प्री–बी.एड़, बाल विकास टेस्ट के प्राप्तांको को दिया जाएगा। शेष 40 प्रतिशत की गणना अभ्यर्थी के अकादमिक निष्पादन के, आधार पर की जाएगी। यथा–5 प्रतिशत अंक भार उच्च माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक, 30 प्रतिशत स्नातक तथा 5 प्रतिशत स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा के निष्पादन पर दिया जाएगा।
- उपलब्ध सीटों पर आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार होगा ।
- राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेश पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- तलाकशुदा महिला को तलाकशुदा होने का न्यायालय का निर्णय प्रमाण–पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा एवं इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र कि उसने पुनः शादी नहीं की है, भी देना होगा अन्यथा वह इस श्रेणी का लाभ नहीं ले सकेगी। सामाजिक संगठन द्वारा प्रदत प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।
- रक्षाकर्मी/या उसके आश्रित के लिए – यूनिट मेजर/सचिव, सैनिक बोर्ड द्वारा नियमानुसार जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में इस श्रेणी के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगा। बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं अन्य टेरीटोरियल फोर्स के कार्मिक इस श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं।
- राजस्थान का बोनाफाइड निवासी होने के दावे के निर्णय हेतु, किसी सक्षम अधिकारी – जिला मजिस्ट्रेट अथवा इस निमित्त अधिकृत एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त बोनाफाइड निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यद्यपि बोनाफाइड निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले ऐसे अभ्यर्थी भी राजस्थान के मूल निवासी माने जायेगें जिन्होंने राजस्थान राज्य से 10वीं से स्नातक स्तर तक की सभी परीक्षा पास की है एवं जो अपना मूल निवास का पता राजस्थान का दे रहे हैं। राज्य के बाहर की महिला के राजस्थान में विवाह होने पर उसके पति का निवास स्थान यदि राजस्थान में है तो विवाहिता का बोनाफाइड निवास स्थान राजस्थान माना जा सकता है बशर्ते पति के राजस्थान में बोनाफाइड निवास का प्रमाण–पत्र पेश किया जाए तथा साथ ही विवाह

प्रमाण–पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो परीक्षा में बैठने के लिये भरे गये आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाए। रक्षाकर्मियों और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के ऐसे रक्षाकर्मियों और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान के बाहर पदस्थापित हैं/थे परन्तु जो राजस्थान के बाहर पदस्थापित हैं/थे जो मूलतः राजस्थान के निवासी हैं उन्हें भी बी.एड.बालविकास पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र माना जा सकता है बशर्ते उन्होंने पीबीसीडीटी–2026 में बैठने के लिए भरे गये आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता का प्रमाण पत्र और सक्षम के साथ अपने नियोक्ता का प्रमाण पत्र और सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त बोनाफाइड निवास का प्रमाण पत्र संलग्न किये हों।

- PBCDT-2025 परीक्षा का केन्द्र लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ड़बोक उदयपुर रहेगा।
- परिणाम वेब–साईट **http://www.pbcdtdabok.net** जिसकी (सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी) पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों की सूचनार्थ परिणाम घोषणा की सूचना राजस्थान के मुख्य समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जावेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों एवं पीबीसीडीटी वेब साईट पर नजर रखें ।
- बी.एड बाल विकास. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में विद्यालय शिक्षण विषय होना अनिवार्य है।

शिक्षण विषयों का निर्धारण :

(i) शिक्षण विषय से अभिप्राय है ऐसा विषय जो अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु लिया हो। यह विषय अनिवार्य, ऐच्छिक या सहायक विषय भी हो सकता है, बशर्ते अभ्यर्थी ने इस विषय का कम से कम दो वर्षों तक अध्ययन किया हो और विश्वविद्यालय ने प्रतिवर्ष इस विषय की परीक्षा ली हो। शिक्षण विषय में ऐसे विषय सम्मिलित नहीं होते जिनका अभ्यर्थी ने डिग्री पाठ्यक्रम के लिए आंशिक अध्ययन किया हो। अतः अर्हताकारी विषय–सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी, सामान्य शिक्षा/भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इतिहास/प्रारम्भिक गणित आदि जैसे विषय जो केवल प्रथम वर्ष में या द्वितीय वर्ष में निर्धारित किये गये हैं या फिर वह विषय जो प्रथम वर्ष में पढ़ कर द्वितीयादि वर्षो में छोड़ दिया गया हो– 'शिक्षण विषय' के रूप मे नहीं माना जायेगा। ऑनर्स स्नातकों के लिए ऑनर्स के विषय के अलावा सहायक विषय को भी माना जायेगा बशर्ते अभ्यर्थी ने उस विषय को न्यूनतम दो शिक्षा–सत्रों तक पढ़ा हो और प्रत्येक सत्र के अंत में उसकी परीक्षा दी हो। त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की अंकतालिका में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के प्राप्तांक एवं द्विवर्षीय स्नातक उपाधि की स्थिति में द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के प्राप्तांक अलग–अलग दर्शित किये जाकर इनका संकलन (compilation) होना आवश्यक है।

(ii) जिन अभ्यर्थियों ने अपनी बी.ए. डिग्री इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र– इन विषयों में से किन्ही दो विषयों को लेकर प्राप्त की है उन्हें बी.एड. परीक्षा हेतु सामाजिक ज्ञान (Social Studies) विषय लेने की अनुमति होगी।

(iii) कृषि स्नातकों को बी.एड. परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान और जीव–विज्ञान (Biology) विषय लेने की अनुमति होगी। सामान्य विज्ञान विषय लेने की अनुमति उन अभ्यर्थियों के लिए भी रहेगी जिन्होंने अपनी बी.एससी. डिग्री होम साइन्स विषय लेकर अथवा बी.एससी. परीक्षा (i)

रसायन शास्त्र (Chemistry) और (ii) जीवन विज्ञान (Life Science) का कोई विषय अर्थात् जीव–विज्ञान (Biology) अथवा वनस्पति विज्ञान (Botany) अथवा जन्तु विज्ञान (Zoology) विषय लेकर उत्तीर्ण की है।

(iv) जिस अभ्यर्थी ने बी.ए. अथवा एम.ए. परीक्षा राजनीति विज्ञान अथवा लोक प्रशासन विषय लेकर उत्तीर्ण की है, वह बी.एड. परीक्षा हेतु शिक्षण विषय के रूप में नागरिक शास्त्र (Civics) विषय लेने का पात्र होगा।

पात्रता नियमों की व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

(i) पीबीसीडीटी के संकायवार मेरिट के लिए अभ्यर्थी का वही संकाय माना जाएगा जिसमें उसने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है अर्थात् जो अर्हताकारी परीक्षा है तथा जो शिक्षण के अभ्यास के लिए विषय चुनने के योग्य बनाती है। स्नातक परीक्षा की संकाय से भिन्न स्नातकोत्तर परीक्षा का संकाय होने पर न तो मेरिट निर्धारण के लिए इस पर विचार किया जायेगा और न ही शाला–शिक्षण विषयों को लेने हेतु इस पर विचार हो सकेगा।

(ii) जहां किसी अभ्यर्थी ने स्नातक परीक्षा के संकाय से भिन्न एक ही संकाय के दो विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की हो और स्नातकोत्तर परीक्षा के दोनों विषय शाला–शिक्षण विषय हो और अभ्यर्थी दोनों विषय अध्ययन विषय के रूप में चुनना चाहे तो उसके मेरिट निर्धारण के लिए उसे स्नातकोत्तर परीक्षा का संकाय दिया जा सकता है।

(iii) अभ्यर्थी जो पीबीसीडीटी–2025 अभ्यर्थी के लिए आवेदन–प्रपत्र ऑन लाइन भरने तथा जमा करने की अंतिम तिथि तक पात्रता शर्तो में से किसी को पूरा नहीं करता है तो पीबीसीडीटी के लिए आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं करना चाहिए और न ही परीक्षा में बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी और उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा भले ही परीक्षा में बैठने या भाग लेने से भाग लेने उसका नाम योग्यता सूची में आ गया हो परीक्षा हेतु उसकी पात्रता की जांच न करने के कारण भूल से उसे प्रवेश की अनुमति भी मिल गई हो– किसी भी स्तर पर का पता लगने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। काउन्सलिंग तय तिथि तक की निर्धारित पात्रता–परीक्षा की मूल अंकतालिका प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर अभ्यर्थी की पात्रता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

(iv) (अ) बी.एड.बाल विकास पाठ्यक्रम हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी ने ऐसे विश्वविद्यालय से (इन्टरमीडिएट के बाद) त्रिवर्षीय डिग्री, पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है जहां प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नहीं ली जाती है और इस परीक्षा के प्राप्तांक भी द्वितीय वर्ष की प्राप्तांक सूची में श्रेणी निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाते, तो वह अभ्यर्थी बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पीबीसीडीटी–2025 में बैठने के योग्य नहीं है।

(ब) ऑनर्स स्नातकों में से जिन्होंने न्यूनतम दो वर्षो तक एक ही सहायक विषय का अध्ययन कर दोनों ही वर्षो में अलग–अलग वि.वि. परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, वे भी इस सहायक विषय को अपने शिक्षण विषय के रूप में लेने के पात्र नहीं हैं और इसलिए पीबीसीडीटी–2025 में बैठने के पात्र भी नहीं है।

(स) जिन अभ्यर्थियों ने किसी भी विश्वविद्यालय से पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है और केवल एकल बैठक परीक्षा पद्धति से ही विश्वविद्यालय की परीक्षा दी है या 10+2+3 या पुरानी पद्धति से 10+1+3 से परीक्षाएँ पास नहीं की हो, वे भी पीबीसीडीटी–2025 में बैठने के पात्र नहीं है। बी.ए.पी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 10+2 के बराबर नहीं माना जाकर बी.एड. बाल–विकास पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु सामान्य निर्देश

(i) प्रथमतः अभ्यर्थी को पीबीसीडीटी–2025 में बैठने की अपनी पात्रता का निर्धारण स्वंय करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में बैठने के स्तर तक आवेदन–पत्रों की जांच विश्वविद्यालय द्वारा की जाना आवश्यक नहीं है। परीक्षा में बैठने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की है जो उसे बी.एड. बाल विकास पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार, उस दशा में नही देता यदि बाद में यह पता लगे कि वह इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु या पीबीसीडीटी में प्रवेश हेतु पात्रता भी नहीं रखता। पुनश्च, क्योंकि पीबीसीडीटी परीक्षा में बैठना अभ्यर्थी की अपनी जोखिम है, उसे यदि अंकसूची भी दे दी जाती है तो भी उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिल जाता, यदि बाद में वह अपात्र सिद्ध हो जाता है।

(ii) अभ्यर्थी को नियमावली व सामान्य निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और उनकी पालना करनी चाहिए अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। पात्रता नही रखने वाले छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होवें।

(iii) किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑन–लाइन आवेदन–पत्र में किसी श्रेणी विशेष का उल्लेख करना परन्तु वास्तविकता में उस श्रेणी से सम्बन्ध नहीं रखना या आवेदन पत्र में श्रेणी आदि का उचित अंकन किए बगैर प्रमाण–पत्रादि की प्रतिलिपि संलग्न कर देना या ऑन–लाइन में गलत अथवा असत्य सूचना/तथ्य अंकित करना 'दुराचरण' माना जायेगा और परिणाम स्वरूप ऐसा आवेदन–पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

(iv) पीबीसीडीटी का शुल्क उपरोक्त दर्शाई गई किसी भी दशा में प्रत्यर्पणीय (Refundable) नहीं है। अतः नियमों और निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिए।

प्री.बी.एड. बाल–विकास टेस्ट–2025 में प्रवेश हेतु निर्देश

1. प्रतिस्पर्धा परीक्षा की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए किसी प्रकार का पाठ्यविषय विहित (Prescribe) नहीं किया जा सकता। यह सर्वश्रेष्ठ के चयन का एक प्रयास है। तथापि आगे एक मोटी रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है :–

    (1) प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा।
    (2) प्रश्न पत्र के लिए समयावधि 3 घण्टे की होगी।
    (3) प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा तथा प्रश्न पत्र के पूर्णांक 600 होंगे।
    (4) भाग 'अ', 'स', 'द' में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक देय होंगे। गलत उत्तर के लिए अंको में कोई कटौती नही की जायेगी।
    (5) 'ब' भाग के उत्तर 3 से 0 अंक के स्केल पर जाँचे जायेंगे।

2. प्रश्न पत्र एक बुकलेट के रूप में होगा जिसमें चारों भागों में 50–50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर (A), (B), (C), (D), होंगे। अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न के प्रदत्त चार विकल्पों में से एक सहीउत्तर का चयन कर उत्तर पत्र में सम्बन्धित प्रश्न के लिए दिए गए चार लघु वृत्तों में से सही उत्तर वाले लघुवृत्त को एच.बी. पेन्सिल प्रयुक्त करते हुए गहरा काला करना है। उन्हें प्रत्येक प्रश्न के सन्दर्भ में केवल एक लघुवृत्त को ही गहरा काला करना है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक विकल्प उत्तर ही सही होगा। यदि अभ्यर्थी किसी उत्तर को बदलना चाहे तो पहले जिस लघु वृत्त को काला किया है, उसे रबड़ से भलीभाँति मिटा ले, तदुपरांत दूसरे विकल्प से लघुवृत्त को गहरा काला करें। लघुवृत्त को दिए गए स्थान पर ही काला चिन्हित करना है, अन्यत्र नहीं। अभ्यर्थी को चाहिए कि वह उत्तर पत्र पर अन्य किसी के चिन्ह आदि न बनावे। रफ कार्य

उत्तर पत्र में नहीं करना चाहिए। रफ कार्य के लिए प्रश्न बुकलेट में उपलब्ध कराए गए स्थान को प्रयुक्त करें। इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर पत्र के सही क्रमांक पर ही अपना उत्तर चिन्हित हो।

- प्रश्न बुकलेट अलग–अलग संयोजनों में तैयार की गई है जिन पर ए, बी, सी एवं डी वर्णाक्षर कोड अंकित किए गए हैं। परीक्षार्थियों को चाहिए कि उत्तर देना प्रारम्भ करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें सही वर्णाक्षर कोड (ए अथवा बी अथवा सी अथवा डी) वाली प्रश्न बुकलेट ही मिली है।
- ऐसे प्रकरणों में जहाँ दो अथवा अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त हों, तो स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के प्राप्तांक एवं जन्म तिथि को योग्यता निर्धारण का आधार बनाया जाएगा।

प्रश्न–पत्र की विषय–वस्तु

प्रश्न पत्र में चार भाग होंगे, जिनकी विषय–वस्तु निम्नानुसार होगी –

भाग–अ : मानसिक योग्यता

इस भाग में 50 बहुविकल्पात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों से अभ्यर्थियों की निम्नांकित योग्यताओं की जांच की जाएगी –

1. तर्कशक्ति
2. कल्पना शक्ति
3. निर्णय एवं विनिश्चयन
4. सृजनात्मक चिन्तन
5. सामान्यीकरण
6. अनुमान लगाना आदि।

भाग–ब : शिक्षकीय अभिवृत्ति और अभिरूचि परीक्षण

इस भाग में निम्नांकित क्षेत्रों से सम्बद्ध 50 बहुविकल्पात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे (जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा तक के हो सकते हैं)

1. शिक्षण व्यवसाय
2. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
3. छात्र संभागीत्व
4. प्रयोगशीलता एवं नवाचार
5. व्यावसायिक नैतिकता
6. शिक्षकीय योग्यता
7. नेतृत्व आदि

भाग–स : सामान्य ज्ञान

इस भाग में निम्नांकित क्षेत्रों से सम्बद्ध 50 बहुविकल्पात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे–

1. समसामयिक घटना वृत्त
2. भारत वर्ष और इसके प्राकृतिक संसाधन
3. पर्यावरणीय संचेतना
4. भारत की अतीत एवं वर्तमान की महान विभूतियां
5. राजस्थान राज्य के प्रति जागरूकता आदि।

भाग–द : हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा प्रावीण्य

इस भाग में हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में प्रावीण्य संबंधी निम्नांकित पक्षों से सम्बद्ध कुल 50 बहुविकल्पात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा के 25–25 प्रश्न होंगे।

1. शब्द ज्ञान (Vocabulary)
2- प्रकार्यात्मक व्याकरण (Functional Grammar)
3- वाक्य विन्यास (Sentence Structure)
4- अर्थग्रहण आदि (Comprehension)

(i) प्रश्नपत्र में सभी प्रश्न बहु विकल्पी न्यूनतम चार उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। (मॉडल प्रश्नपत्र में नमूना देखें।)

(ii) प्रश्नपत्र अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में होगा सिवाय लेंग्वेज प्रोफिशियेन्सी भाग, किन्तु दोनों भाषाओं में प्रश्न–पत्र या उत्तर–विकल्पों में अंतर होने की दशा में अंग्रेजी अनुवाद को अन्तिम माना जाएगा।

(iii) प्रश्नपत्र की अवधि 3 घण्टे की होगी।

(iv) प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, पूरा प्रश्नपत्र 600 अंको का होगा। गलत उत्तर के लिए अंको में कोई कटौती नही की जायेगी।

(v) प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिये जायेंगे। टीचिंग एटीटयूड एण्ड एप्टीटयूड टेस्ट सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन 3 से 0 अंक की स्केल पर होगा अर्थात् प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए होगा 3, 2, 1 अथवा 0 अंक होगा।

1. सभी विभागों का प्रश्नपत्र 'टेस्टबुकलेट' के रूप में होगा जिसमें क्रमशः 1, 2, 3, ,50 तक क्रमांक में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के न्यूनतम चार विकल्पी उत्तर (A) (B) (C) (D) आदि रूप में होंगे। परीक्षार्थी को सही उतर चुनकर उसे दिये परीक्षार्थी को उत्तरपत्रक में प्रश्न के अनुरूप क्रमांक में बॉल पेन से पूरे गोले को गहरा काला करना है। निशान गहरा काला और गोला पूरा भरा होना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक गोले को गहरा काला करना है जैसा नमूने में दर्शाया गया है। यदि आप उत्तर बदलना चाहते है तो पहले वाले गोले को जिसे आप काला कर चुके हैं पूर्णतया मिटा दीजिए और नया गोला काला कीजिए। दी हुई उपयुक्त जगह को ही काला कीजिए। उत्तरपत्रक पर इधर–उधर कहीं कोई निशान मत लगाइए। एक से अधिक गोले को काला करने अथवा उत्तर बदलने हेतु पहला काला करने अथवा उत्तर बदलने हेतु पहला काला किये हुए गोले को पूरा मिटाए बगैर अन्य गोले को भी काला कर देने से वह उत्तर गलत माना जाएगा। उत्तरपत्रक पर रफ कार्य नहीं करना है। टेस्ट बुकलेट में रफ कार्य के लिए

स्थान दिया हुआ है, उस जगह का उपयोग कीजिए। मूल्यांकन केवल उत्तरपत्रक के आधार पर ही किया जायेगा ।

2. टेस्ट बुकलेट विभिन्न समुच्चयों (Combinations) में व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रश्न–पुस्तिका का क्रमांक उत्तर–पत्रक पर सावधानी से सही अंकित करें और अंकों के समानान्तर गोलों को सावधानी से गहरा काला करें।
3. अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों की योग्यता सूची पीबीसीडीटी नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर तैयार की जाएगी।
4. दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मेरिट का आधार उनकी स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक होंगे और यदि स्नातक परीक्षा के अंक भी समान होंगे तो जन्मतिथि को आधार माना जाएगा एवं उम्र में जन्मतिथि को आधार माना जाएगा एवं उम्र में वरिष्ठ अभ्यर्थी को उच्च वरियता में माना जाएगा।
5. परीक्षा के उत्तर–पत्रक किसी भी सूरत में किसी न्यायालय (सिविल अथवा क्रिमिनल) के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाऐंगे न ये अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
6. न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ उदयपुर होगा।

परिणाम की घोषणा :

(i) सभी अभ्यर्थियों का परिणाम पीबीसीडीटी की वेब–साईट **http://www.pbcdtdabok.net** पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों के बी.एड.बाल विकास पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन की सूचना भी परिणाम के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। परिणाम/बी.एड.बाल विकास पाठ्यक्रम में चयन की कोई सूचना अभ्यर्थियों को डाक द्वारा नहीं दी जायेगी।

(ii)आवेदन–पत्र एवं आवेदकों से सम्बन्धित रिकॉर्ड का संधारण छः माह तक किया जायेगा तत्पश्चात सम्पूर्ण रिकॉर्ड का निस्तारण कर दिया जाएगा।

संकेतांक सहित विषयों के नाम

कला संकाय से सम्बन्धित विषय

विषय संकेतांक

कला (ड्राइंग)	01
नागरिक शास्त्र	02
गृह विज्ञान	03
अर्थशास्त्र	04
अंग्रेजी	05
भूगोल	06
हिन्दी	07
इतिहास	08
संस्कृत	12

सामाजिक ज्ञान 13

विज्ञान संकाय से सम्बन्धित विषय

विषय संकेतांक

जीव विज्ञान (Biology) 15

रसायन विज्ञान (Chemistry)-- 16

सामान्य विज्ञान (Gen.Sc.)....... 17

गृह विज्ञान 03

गणित 09

भौतिक विज्ञान (Physics)--------- 18

वाणिज्य संकाय से सम्बन्धित विषय

विषय संकेतांक

बहीखाता 20

व्यापार पद्धति 21

स्नातक स्तर के विषय

राजनीति विज्ञान 41

लोक प्रशासन 42

समाज शास्त्र........................ 43

दर्शन शास्त्र......................... 44

मनोविज्ञान............................ 45

वनस्पति विज्ञान................... 46

जन्तु विज्ञान......................... 47

इसके अलावा विषय जो उपरोक्त में नहीं हैं 00 अंकित करें ।

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... घोषणा करता/करती हूँ कि

1. मैने पी.बी.सी.डी.टी. परीक्षा 2025 से संबधित नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नही कहूँगा/कहूँगी।
3. मुझे किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है।
4. (अ) किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ पी.बी.सी.डी.टी. परीक्षा 2024 कार्यालय में प्रतिवेदन भेजूंगा/भेजूंगी और 60 दिवस में मामले का निस्तारण नहीं होने के पश्चात् ही न्यायालय से न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूंगा/करूंगी। किसी विधिक वाद की स्थिति में न्यायिक कार्य क्षेत्र केवल उदयपुर स्थित न्यायालय का ही होना मुझे स्वीकार है।

   (ब) यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर प्रभारी पी.बी.सी.डी.टी. परीक्षा 2024 कार्यालय के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो प्रभारी को समुचित मुआवजा देने को बाध्य होऊंगा/ होऊंगी।

   (स) न्यायालय में दायर सभी विवादों के लिए न्यायिक अधिकार उदयपुर शहर स्थित न्यायालय का ही होगा।
5. आवेदन पत्र में कमी, त्रुटी होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से पात्रता नहीं रखने पर आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किए जाने हेतु मेरी सहमति है।
6. मैं स्वयं परीक्षा प्रवेश पत्र, परीक्षा परिणाम, अंकतालिका इत्यादि अधिकृत वेबसाईट **http://www.pbcdtdabok.net** से डाउनलोड करूंगा/करूंगी।
7. मेरे मूल दस्तावेजों का अन्तिम सत्यापन पी.बी.सी.डी.टी. कार्यालय, डबोक द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
8. मैं इस तथ्य से भलीभांति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस परीक्षा से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज मैं प्रवेश के समय संस्थान के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।
9. मैं कहीं भी सेवारत नहीं हूँ/सेवारत हूँ तथा प्रवेश होने की स्थिति में मै विभाग से अनुमति/अवकाश लेकर पाठ्यक्रम में नियमित रहूँगा/रहूँगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान : ....

दिनांक : ....

पता : ....

....

फोन नम्बर मय कोड : ....   मोबाइल नम्बर : ....